

Annexure B/1

From
Rajat Singh Jain, H.J.S.,
District Judge, Meerut.

To
The Registrar General,
Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad,
Prayagraj.

Subject: Explanation regarding borrowing and lending money to my mother Smt. Aruna Jain.

Sir,

It is humbly submitted that I joined the service on 15.12.2008. Prior to that I was staying in Joint Hindu Family of my father alongwith my parents. In 2010, in O.S. No. 6 of 1979, Bhartendra Singh Jain versus Virendra Singh Jain and others, a settlement took place between my father and his brothers on 13.09.2010, wherein it was agreed that ancestral house was to be vacated by our family by 12.02.2012. Therefore, it was decided to construct a residential house on shops which fell into share of my father. Unfortunately, my father suddenly expired on 21.03.2011. My mother started construction of a house at Kasganj out of her own savings and money left by father, but the same fell short for necessary finishing work. She was denied loan by the banks/financial institution due to her old age. As, the deadline for vacating the ancestral house was near and the constructed house was not habitable, therefore I and my siblings lent some interest free loan so that house could be made habitable. Thus, I lent a sum of Rs. 4,25,000.00 from 30.11.2012 to 31.08.2012. thereafter my mother sold certain immovable properties and returned the borrowed amount between 29.10.2012 to 22.04.2014. All transactions were either made by cheque or online bank transfer. A copy of compromise decree in O.S. No. 06 of 1979 is annexed as **Annexure-B/2**. (Kindly see para 18 of that compromise.)

In 2014, I decided to purchase a flat. When I contacted the builder, I was told about the consideration amount payable to the tune of Rs.75,40,000.00. I contacted the financier, i.e., HDFC Ltd and initially they agreed to lend me a sum of rupees 60 lakhs. I reviewed my savings and that of my family and found that I can arrange a sum of Rs.15.40 lakhs after exhausting all savings of my family. Thereafter, I paid a sum of 25000.00 in cash on 01.04.2014 and Rs. 10 lakhs by cheque on 25.04.2014 to the builder. I was sure that the finance company would lend me a sum of Rs. 60 lakhs. However, the finance company found that

d

considering my salary and existing liabilities etc., I am eligible only for a maximum loan of Rs. 57 lakhs. I contacted the builder and asked him to refund my already paid amount, but the builder refused. I had no other choice except to explore the other sources of finance. Other banks and financial institution also refused to give me loan on knowing that I am taking a loan of Rs. 57 lakh from HDFC Ltd. My real mother Smt. Aruna Jain was in a position to lend me a sum of Rs. 2 lakhs and therefore I agreed to take interest-free loan from my mother, otherwise my initial deposit was to be forfeited by the builder. Therefore, I asked my mother to pay a sum of Rs. 2 lakhs directly to the builder by account payee cheque, which she did. My mother gave me a certificate to this effect on 07/07/2014. A copy of that certificate is annexed as Annexure-B/3. Particulars of transactions are enclosed as Annexure-B/4.

It is further humbly submitted that I joined the service on 15/12/2008 and was not aware about the provisions regarding lending and borrowing. However, before giving or accepting interest-free loan to or from my mother, I queried from a senior judicial officer, and he told me that I could lend or borrow interest free money to/from relatives not residing in the district of posting. Believing him, I did such type of transactions in total ignorance.


It is humbly submitted that the mistake was totally unintentional and due to ignorance as I believed oral opinion of a senior judicial officer. Had I known about the restrictions regarding taking or giving loan from or to the relatives, I would not have taken a loan or lend money without seeking prior permission of the Hon'ble court. When I came to know about rule regarding borrowing and lending of money, I had not made a single transaction of borrowing or lending of money even with a relative. I tender my unconditional apology and assure the Hon'ble court that I would not repeat such a mistake in future.

It is therefore most respectfully prayed that this letter may be placed before the Hon'ble court to consider accepting my unconditional apology and pardon me for my act of borrowing and taking loan from my mother under compelling circumstances, without previous sanction of the Hon'ble court.

With regards.

Date: 06/01/2022


Yours faithfully,


(Rajat Singh Jain)

District Judge, Meerut.

SRIA

Annexure B/2-1



मूल वाद में आज्ञापति

(अध्याय 20, नियम 6-7)

ज्यायालय सिविल जज (सी० डि०) क्याथ काशीराम नगर जिला काशीराम नगर

दिनांक 05-06/79

अभिपक्ष-विदाय

याद

19

80

1- कु० मरतेन्द्र सिंह उम्र 55 साल पुत्र श्री कु० सदाशिव सिंह साहिब मी० नबाब बिलराम दरवाजा कासगंज तहसील जिला बदायुँ

मूलक यौरान बाय -

- 1/1 - श्रीमती जैन आयु लगभग 54 वर्ष
- 1/2 - पंजाब जैन आयु लगभग 51 वर्ष पुत्राज स्व० श्री मरतेन्द्र सिंह निवासी गण मी० दलान नबाब बिलराम गेट कासगंज ।

- 1 कु० मरतेन्द्र सिंह उम्र करीब 50 साल
- 2 कु० राजेन्द्र सिंह उम्र करीब 40 साल, (मूलक यौरान बाय)
- 3 कु० मरतेन्द्र सिंह उम्र करीब 45 साल बन्नेल कासगंज पुत्राज श्री मदीराज सिंह निवासी

पुत्राज या बान
याद हक्या
पक्षधारी के नाम



परगना बिलराम जिला बदायुँ - मुख० न० 1 नापाख तहसील बदायुँ जिला बदायुँ जिला बदायुँ न० 2 डेवी जन्म भकान्टेट एबजीड मूडिस इन्वीमिटर कीथ डीजीन न० 1 वर्गीय नगर बबलपुर न० 50/— मुखाल मुख

4- कृष्णवीर सिंह जैन उम्र करीब 37 वर्ष पुत्रा श्री वीरेंद्र सिंह निवासी मी० दलान नबाब कासगंज जिला एटा शल मौजूदा 138 सौ फिट वन मरतेन्द्र सिंह केज - 1 दिल्ली

(2/1) श्री मती राजकुमारी जैन आयु लगभग 65 वर्ष (पत्नी)

(2/2) श्री मती राधे जैन आयु करीब 43 साल पत्नी विजयकुमार जैन (पुत्र)

(2/3) श्री राजीव जैन आयु करीब 41 वर्ष (पुत्र) स्व० श्री मरतेन्द्र सिंह जैन निवासी हाल मौजूदा बिलराम गेट लक्ष्मी मयन कासगंज परगना बिलराम तहसील कासगंज जिला एटा।

5- श्री मती शान्तिदेवी आयु लगभग 84 वर्ष - विधवा श्री मरतेन्द्र सिंह जैन निवासी बिलराम गेट लक्ष्मी शान्तिदेवी के सामने कासगंज जन्म काशीराम नगर।


6- चन्द्रवीर सिंह उम्र करीब 63 वर्ष पुत्र स्व० श्री मरतेन्द्र सिंह जैन निवासी बिलराम गेट लक्ष्मी शान्तिदेवी के सामने कासगंज जन्म काशीराम नगर।

7- श्री मती शशीकुमारी पुत्रा श्री मरतेन्द्र सिंह जैन पत्नी वीरेश कुमार जैन निवासी शाहगंज बौद्ध काशीराम नगर।

8- श्री मती नीलम जैन पुत्री स्व० श्री मरतेन्द्र सिंह जैन पत्नी कर्मवीर जैन निवासी मुंडावा सेक्टर 48 हरियाणा।

9- श्री मती प्रीति जैन पुत्री श्री मरतेन्द्र सिंह जैन पत्नी श्री विनेश कुमार जैन वाक्तेपुर जिला करीमगंज (हरियाणा)।

58/101
2



बादी

प्रतिवादी

- 1--वाच-पत्र के लिये मुद्रांक
- 2--वाच-पत्र के लिये मुद्रांक
- 3--प्रमाणों के लिये मुद्रांक
- 4--'वसियत' की कीमत
- 5--आदिशों के लिये निष्पक्ष-व्यय
- 6--उदीयन निष्पादक की कीमत
- 7--आवेदिका की लागत

₹० ₹०

- 1--वाच-पत्र के लिये मुद्रांक
- 2--आदिशों के लिये मुद्रांक
- 3--'वसियत' की कीमत
- 4--प्रमाणों के लिये निष्पक्ष-व्यय
- 5--आवेदिका की लागत
- 6--कमीशन निष्पादक की कीमत

₹० ₹०



बाध...

बाध...

मुसहरि...
 न्यायालय सिविल जज (सी.डी.)
 कोशीराम नगर
 21-9-10

सत्य प्रतिलिपि
 प्रमुख प्रतिलिपिक (मुसहरि)
 प्रधान प्रतिलिपिक
 केंद्रीय प्रतिलिपिक विभाग
 जिला न्यायाधीश कोशीरामनगर

बादी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर
 श्री आलोक कुमार सौलंकी ९५०

प्रतिवादी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर
 श्री शारदा प्रसाद सौलंकी ९५

Photo Stat Copy Verified by
 W.A.-3000



नं- 3 नरेन्द्र सिंह को 25000 = रूपया सिलवाया जाकर भा उनके न लेने पर उनके हक में अदालत में जमा कराया जाकर मुदरई को हवेली मुन्दजी जैल क्रमांक नं-3 के उस कुल भाग पर जो व कूल्जा मुददालत में है) करवल व बोदश्वली मुददालत में खिलाया जावे।

(ख) यह कि रम्या मुकदमा मुदरई को मुददालत में प्रथम पत्र से खिलाया जावे।

(ग) यह कि बीजार बायरी जो व नजर इन्साफ राम अदालत में मुफीद मुदरई सापित हो वहक मुदरई खिलाफ मुददालत में प्रथम पत्र साधिर फरमाई जावे।

तत्पश्चात् जामदाद वीके कस्बा कासांज परना खिलराम तहसील कासांज जिला स्या।

(1) एक छिन्ना बुकान व आराजी उफतादा वीके मौहल्ला मोहन कस्बा कासांज जिला स्या कीमत तखनीनी 5000 = 00 रूपया
 पूरव - बुकान राम दानाश पश्चिम - सडक
 उत्तर - बुकान श्यामा देवी दक्षिण - जाली

(2) एक छिन्ना बुकान जिसमें हर प्रसाद खिलराम देव हैं मग एक कोठी जिसमें सधुराम खिलराम देव हैं वीके मौहल्ला नाबुराम कस्बा कासांज जिला स्या कीमती मुठ 5000 = 00 रूपया।

पूरव - बुकान राजिंद्र वीर पश्चिम - बुकान गोबुल प्रसाद
 उत्तर - सडक दक्षिण - बुकान पं० सतनाराम वीर

(3) एक छिन्ना हवेली पुरवा मुंजीला वीके मौहल्ला कस्बा कासांज जिला स्या। कीमती 64000 = 00 रूपया।

पूरव - बुकानत महाराज सिंह मादव व आराजी उफतादा मारी कैन।
 पश्चिम - शाहिदगी कम्पाउंड मरी कैन।
 उत्तर - आराजी उफतादा 5 फुट मुदरई खादू महाराज सिंह मादव।
 दक्षिण - पुरवा हवेली मुदरई बायडू रास्ता।

(Faint handwritten notes in blue ink, possibly a signature or date.)

(Faint handwritten notes at the bottom of the page.)



1
2
3
13.9.70

न्यायालय सावल जज (सीनियर डिवीजन) काशीरामनगर

580 A1
1

मूलवाद संख्या 06

सन 1979

श्री भरतेन्द्र सिंह वादहू श्री पीयूष जैन

बनाम्

580 A1
1

श्री वीरेन्द्र सिंह जैन आदि

श्रीमानजी,



निवेदन यह है पक्षों के मध्य आपसी जुबानी समझौते के आधार पर फैसला हो गया है। भविष्य में कोई विवाद न रहे इस कारण उक्त जुबानी समझौते को लिखित में उक्त वाद में दाखिल करना उचित होगा ताकि कोई पक्षकार या उनके वारिस समझौते को चुनौती न दे सके तथा मुकद्दमे का निर्णय हो सके। समझौते का विवरण निम्न प्रकार है:-

1-- यह कि पक्षों के मध्य दिनांक-23.3.1974 को मौखिक बंटवारे को लिखित रूप में रजिस्टर्ड कराया गया था, उक्त मौखिक बंटवारा में पक्षों के पैत्रिक निवास स्थान जिसमें लक्ष्मी भवन विलराम गेट, कासगंज के नाम से जाना जाता है, में चारों भाईयो सर्वश्री भरतेन्द्र सिंह, वीरेन्द्र सिंह जैन, राजेन्द्र सिंह जैन तथा नरेन्द्र सिंह जैन में से श्री वीरेन्द्र सिंह जैन ने अपने हिस्से के ऐवज में 14,000 रूपया प्राप्त करके उसे श्री भरतेन्द्र सिंह जैन के हक में छोड़ना तय पाया था, इसी प्रकार श्री राजेन्द्र सिंह जैन ने 9000 रूपया लेकर तथा नरेन्द्र सिंह जैन ने 25000 रूपया लेकर उक्त भवन में क्रमशः अपने अपने हिस्से श्री भरतेन्द्र सिंह जैन के हक में छोड़ना तय पाया था, किसी कारण वश उस समय इस प्रकार के हुए मौखिक बंटवारे पर अमल नहीं हो पाया किन्तु दौरान मुकद्दमा श्री वीरेन्द्र सिंह जैन ने अपने हिस्से की धनराशि 14000 रूपया लेकर इस सम्वन्ध में एक समझौता पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया अतः उनका कोई हिस्सा किसी प्रकार का भवन में नहीं रहा।

2-- यह कि श्री नरेन्द्र सिंह जैन प्रतिवादी द्वारा चूँकि लक्ष्मी भवन में अब अपना हिस्सा छोड़ने की ऐवज में 25,000 रूपया स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं अतः उनको संलग्न नक्शा में अक्षर ई0एफ0जी0एच0बी0ए0 संख्या-11 व पीले

*Recd. Chandrup
Aswari
L.T.D. Rajeev Jain*



महाराज

राजेश जैन

M.A.

Narendra Singh Jain

Venidra Singh Jain

18

13.9.70

500A1
2

500A1
2

रंग से दर्शाया गया भाग दे दिया गया दीवार ए0बी0 जो ककईया ईट की बनी है वह श्री नरेन्द्र सिंह जैन के भाग मे शामिल है उक्त संलग्न नक्शे मे उक्त भाग की पैमाइश अंकित की गयी है



3-- यह कि लक्ष्मी भवन का जो भाग ए0बी0सी0डी0 संख्या-1 वलाल रंग से दर्शाया गया है अनन्य रूप से श्री पीयूष जैन का है जिसकी भुजाओं की माप ए0बी0-55 फुट, बी0सी0-36फुट 6 इंच व सी0डी0-55 फुट व ए0डी0-36फुट 6इंच है जिसे उक्त लक्ष्मी भवन में बांटे गए भाग के स्वामियों को एक दूसरे की ओर कोई दरवाजा रोशनदान, जंगला, नाली, परनाला, इत्यादि निकालने का अधिकार नहीं है और न होगा। ए0बी0सी0डी0 भाग का निकास दक्षिण सडक विलराम दरवाजा की ओर होगा।

4-- यह कि संलग्न नक्शा में अक्षर आई0जे0एफ0ई0 संख्या-8 अक्षर आर-55फुट टी0यू0वी0 डब्लू0एक्स0 संख्या-9 व अक्षर सी0सी0, जी0जी0, एच0एच0,आई0आई0 जे0जे0, के0के0 संख्या-10 से व पीले रंग से दर्शायी गयी सम्पत्तियां श्री नरेन्द्र सिंह जैन के हिस्से में 23.3.1974 से पूर्व हुए आपसी मौखिक बटबारे में आयी थी और उनका उक्त सम्पत्तियों पर अनन्य कब्जा व दखल है। इकरारनामा दिनांक 23.3.1974 मे सम्पत्ति संख्या-9 किसी त्रुटिवश स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह जैन के हिस्से में लिख गयी थी श्री राजेन्द्र सिंह जैन के हिस्से में लक्ष्मी भवन के दक्षिण ओर सडक पार करके मोहल्ला नाथूराम में जो सम्पत्ति आयी थी वह त्रुटिवश श्री नरेन्द्र सिंह जैन के हिस्से मे लिख गयी थी उक्त सडक पार की सम्पत्ति स्थित मोहल्ला नाथूराम जिसकी सीमाये उत्तर मे सडक विलराम दरवाजा, दक्षिण में मकान ज्योतिष साद व पूरब में मकान सुरेशचन्द्र वार्ष्णेय व पश्चिम में जायदाद समप्रकाश वडासी वाले बढारी मार्केट है पर स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह जैन के वारिसान द्वारा कब्जा व दखल द्वारा न्यायालय आर0बी0एण्ड ई0ओ0/एस0डी0एम कासगंज में दिनांक 29.12.2009 को प्राप्त कर लिया गया है हम पक्षकार इस बात की पुष्टि करते है कि लक्ष्मी भवन के दक्षिण ओर सडक पार की उक्त सम्पत्ति श्री राजेन्द्र सिंह जैन के

P.P. Chandak
13.9.10

L.T.I. Rajeev Jain



हिससे में आयी थी और उससे श्री नरेन्द्र सिंह जैन अथवा पीयूष जैन का या
Rajamull Jain *Narender Singh Jain* *Vandana Singh Jain*
Piyush Jain *SAP/-* *12* *13.9.10*

किसी अन्य पक्षकार का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है और यदि कोई अन्य पक्षकार उक्त सम्पत्ति पर अपना दावा करता है तो वह अकृत व शून्य होगा। उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में श्री पीयूष जैन ने जो आपत्ति नगर पालिका परिषद में कर रखी है वह इस संधि पत्र के द्वारा खारेज की जाती है और बेअसर हो गयी है पीयूष जैन ने इस सम्पत्तिकी वास्तु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट नम्बर-65885 वर्ष 2009 पीयूष जैन बनाम राजेन्द्र सिंह जैन दायर की गयी जो कि दिनांक: 8.12.2009 को निरस्त हो गयी।

5— यह कि दिनांक: 23.3.1974 से पूर्व मौखिक विभाजन क अनुरूप लक्ष्मी भवन में श्री राजेन्द्र सिंह जैन के वारिसान द्वारा रूपया 5000/- लेकर अपना हिस्सा छोड़ना स्वीकार कर लिया है तथा उक्त धनराशि श्री पीयूष जैन से प्राप्त कर ली है।

6— यह कि संलग्न नक्शे में अक्षर बी0बी0, सी0सो0, डी0डी0, एल0एल0 संख्या-3 व रंग हरे से दर्शायी गयी सम्पत्ति मौखिक विभाजन के अनुसार श्री वीरेन्द्र सिंह जैन के हिस्से में आयी थी और उन्ही के कब्जा व दखल में है।

7— यह कि संलग्न नक्शा में अक्षर ओ0पी0क्यू0एच0 संख्या-5 व नीले रंग से दर्शायी गयी सम्पत्ति आपसी मौखिक विभाजन के अनुसार स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह जैन के हिस्से में आयी थी और वर्तमान में उनके वारिसानों के कब्जा व दखल में है।

8— यह कि दिनांक 23.3.1974 से पूर्व हुए मौखिक विभाजन में अक्षर बी0 ए0ए0, एल0एल0, एल0एल-1, एच0जी0 से दर्शाया गया भाग शामिलती खुले चौक के रूप में रखा गया था किन्तु पक्षों ने आपसी रजामंदी से उसका विभाजन कर लिया है उक्त चौक में अक्षर वी0वाई0जेड0डब्लू0 संख्या-2 व लाल रंग से दर्शायी गयी सम्पत्ति के स्वामी श्री पीयूष जैन है यदि भविष्य में उक्त सम्पत्तिको विक्रय करते हैं तो पहले लिखित नोटिस के द्वारा इस वाद के पक्षकारों को वाजार भाव बताकर वेचने का प्रस्ताव करेगे और यदि दो माह के अन्दर इस वाद के पक्षकार उक्त सम्पत्ति क्रय नहीं करते हैं तो वह किसी

को भी उक्त सम्पत्ति विक्रय कर सकेंगे। किन्तु वह विक्रय उस बाजार भाव के

Warenda Singh for Vinod Kumar Singh Jain

Piyush Jain

W.A.

18

विमल जैन

13-9-10
P. T. J. Rajeev Jain



580A1
4
580A1
4

...4...

कम पर न होगा। जो पक्षकारों को प्रस्तावित किया गया था। यदि उक्त सम्पत्ति एक से अधिक पक्षकार क्रय करने के इच्छुक होते हैं तो जो ज्यादा मूल्य देगा उसे उक्त सम्पत्ति विक्रय की जावेगी शेष सम्पत्तियों के स्वामियों पर ऐसा कोई बंधन नहीं होगा और वे अपनी अपनी सम्पत्तियों को किराये पर उठाने, विक्रय करने, गिरवी रखने इत्यादि के लिए स्वतन्त्र होंगे।



9— यह कि संलग्न नक्शा में अक्षर वाई0, ए0ए0, एल0एल0, ई0ई0, एफ0एफ0-2 संख्या-4 व हरे रंग से दर्शायी गयी सम्पत्ति के स्वामी श्री वीरेन्द्रसिंह जैन हैं।

10— यह कि संलग्न नक्शा में अक्षर एल0एन0, एच0एम0 संख्या-6 व नीले रंग से दर्शायी गयी सम्पत्ति के स्वामी स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह जैन के वारिसान हैं।

11— यह कि नक्शा में अक्षर के0एल0एम0जी0 संख्या-7 व पीले रंग से दर्शायी गयी सम्पत्ति के स्वामी श्री नरेन्द्र सिंह जैन हैं।

12— यह कि श्री वीरेन्द्र सिंह जैन द्वारा पूर्व में जो समझौता इस वाद में दाखिल किया गया था उसमें उनके प्लॉट जो संलग्न नक्शा में अक्षर 3 से दर्शाया है, की सही पैमाइश नहीं लिखी गयी थी जबकि संलग्न नक्शे में सही पैमाइश लिखी गयी है अगर पूर्व समझौता तथा इस समझौते में कोई फर्क पाया जाता है तो यह संधि पत्र ही मान्य होगा।

13— यह कि संलग्न नक्शे में भुजा वाई-2 को पूरब ओर सीधा खींचने पर उत्तर ओर जो रास्ता नारंगी व सफेद रंग से दर्शाया गया है वह श्री वीरेन्द्र सिंह जैन व वारिसान श्री राजेन्द्र सिंह जैन व श्री नरेन्द्र सिंह जैन की सम्पत्तियां जो क्रमशः संख्या-4 व 3 व 6 व 5 व 10 व 7 से दर्शायी

गयी हैं के अनन्य प्रयोग के लिए हैं तथा भुजा वाई-2 को पूरब ओर सीधा खींचने पर जो रास्ता दक्षिण ओर नारंगी व सफेद रंग से दर्शाया गया है वह सभी पक्षों के उपयोगार्थ है और चारों पक्ष उक्त दक्षिणी तरफ रास्ते के निर्माण में बराबर का व्यय करेंगे। उक्त रास्ता 'Z' विन्दु के उपर उत्तर

Asht
13-9-10

P.P. Chandak
Asst. Secy.

L.T. Rajeev Jain



24
राजेश्वर सिंह
Rajesh Singh

Narendra Singh Jain
Prakash
1-2
विक्रम सिंह

500A1
5 500A1
5

...5...

की तरफ एपेक्स टाइल से पक्का करवाया जावेगा जिसका 1/3 व्यय श्री वीरेन्द्र सिंह जैन व 1/3 व्यय वारिसान श्री राजेन्द्र सिंह व 1/3 व्यय श्री नरेन्द्र सिंह जैन करेगें व इस रास्ते में अवरोध करने या वाहन खडा करने का अधिकार किसी पक्ष या उनके मेहमानों को न होगा।

14— यह कि कुल रास्ता जो सफेद व नांरगी रंग से दर्शाया गया है में कोई भी पक्षकार, छज्जा, चबूतरा, प्रोजेक्शन, परनाला कतई नहीं निकाल सकेगें केवल उस रास्ते के दोनो ओर अधिक संअधिक एक एक फुट चौडी नालियां बनाई जा सकेगी जो पूरे रास्ते में उत्तर से दक्षिण ढाल की होंगी। तथा मुख्य सडक विलराम दरवाजा की नाली में जाकर मिल जावेगी अथवा पक्षकार आपसी सहमति से एक एक बडी अन्डर ग्राउण्ड नाली भी बनवा सकते है उक्त रास्ते के नीचे जमीन के अन्दर से पक्षकारों को बिजली, टेलीफोन व पानी की लाइन ले जाने का अधिकार होगा। उक्त रास्ते में सभी को दरवाजा जंगला निकालने का अधिकार होगा।

15— यह कि पक्षकार एक्स0आई0 स्थान पर गेट चढवा सकेंगे जिसका व्यय समान रूप से वहन करेगे और उसके ताले की एक एक चाबी प्रत्येक पक्षकार के पास रहेगी। गेट लगाने के लिए सम्पत्तिसंख्या-9 व 8 की दीवारो का सहारा लिया जा सकेगा। किन्तु दीवारें हमेशा श्री नरेन्द्र सिंह जैन की रहेगी।

16— यह कि रारता के एक्स0डब्लू0जे0आई0 भाग को श्री नरेन्द्र सिंह जैन अपनी सम्पत्ति संख्या-8 व 9 की दीवारो के सडारे से पाटकर उसकी उपर निमांण कर सकेंगे। पटाव की ऊँचाई कम से कम 14 फुट हांगी।

17— यह कि सम्पत्ति संख्या-5 के पूरब में तथा सम्पत्ति संख्या-1 व 11 के उत्तर में 5 फुट चौडा रास्ता है जिसके सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह जैन ने वाद संख्या- ~~सब~~ नरेन्द्र सिंह बनाम महाराज सिंह डिकी कराया है। उस रास्ते में उक्त सम्पत्तियों के स्वामियों को अधिकार प्राप्त रहेंगें।

18— यह कि ए0बी0सी0डी0 संख्या-1 व लाल रंग से दर्शायी गयी सम्पत्ति में अभी श्री वीरेन्द्र सिंह व श्री नरेन्द्र सिंह जैन व वारिसान श्री



[Signature]
13-9-10a

P. P. Chanday
Secretary

L. T. S. Rajeev Jain


[Signature]
Rajeev Jain

[Signature] *[Signature]*
Virendra Singh Jain
12- *[Signature]*

5/6 580 A1
6

...6...

राजेन्द्र सिंह जैन रह रहे हैं। जो इस समझौता पत्र के आधार पर निर्णय होने की दिनांक से 15 माह के अन्दर अपना कब्जा हटाकर श्री पीयूष जैन को दे देंगे यह एक वर्ष ^{15 माह} का समय इसलिए दिया जा रहा है ताकि उक्त पक्षकार अन्य सम्पत्तियों में निर्माण कराकर अपने अपने रहने का इन्तजाम कर लेंगे। यदि किसी पक्षकार द्वारा संलग्न नक्शा में दर्शायी गयी सम्पत्तियों में निर्माण करने में कोई वैधानिक अडचन आती है जिसे दूर करना उस पक्षकार के हाथ में न हो तो यह 15 माह खाली करने का समय उक्त वैधानिक अडचन दूर होने के बाद से प्रारंभ होगा।



19— यह कि इसी प्रकार पक्षकार ई0ए0बी0ए0 संख्या-11 व रंग पीले से दर्शायी गयी सम्पत्ति में भी कुछ भाग पर श्री वीरेन्द्र सिंह जैन व वारिसान स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह जैन का कब्जा है वह भी उक्त अवधि में उपरोक्त प्रकार से उन्हे हटाकर कब्जा व दखल श्री नरेन्द्र सिंह जैन को देना होगा।

20— यह कि यदि कोई पक्षकार उक्त अवधि में उपरोक्तानुसार अपना कब्जा हटाकर श्री पीयूष जैन या श्री नरेन्द्र सिंह जैन को नहीं देता है तो वह उक्त सम्पत्तियों के स्वामियों को पांच सौ रूपया प्रतिदिन की दर से हर्जा इस्तैमाल देगा। तथा जरिए इजराय पीयूषजैन को तुरन्त दखल लेने का अधिकार उक्त 15 माह की अवधि के बाद होगा जिसमें खाली करने वालो या उनकेवारिसानो को किसी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

21— यह कि संलग्न नक्शा में दर्शायी गयी सम्पत्ति पर कोई पक्षकार मास मदिरा का कारोबार या भण्डारण नहीं कर सकेगा और यह शर्त प्रत्येक पक्षकार के क्रेता पर भी लागू होगी जब तक कि उक्त सम्पत्तियों में से किसी भी सम्पत्ति में जैन परिवार रहता है। यदि कोई पक्षकार या उसका क्रेता इस शर्त का उल्लंघन करता है तो जरिए इजराय उसे रोका जा सकेगा।

22— यह कि साहव वाला पेच कासगंज में जो सम्पत्ति है वह मौखिक

बटबारा के अनुसार अनुबंध दिनांक: 23.3.1974 में श्रीवीरेन्द्र सिंह व श्री

Narendra Singh Jain Nandla Singh Jain

राजेन्द्र सिंह जैन

Piyush Jain

SprAkr

12

राजेन्द्र सिंह जैन

PKK
13/9/10
P.K. Chandall
Advocate

L. J. Rajeev Jain



580 Af
7

राजेन्द्र सिंह व श्री नरेन्द्र सिंह जैन की संयुक्त रूप से प्राप्त की है जिसमें श्री भरतेन्द्र सिंह जैन या उनके वारिसानो का कोई हक हिस्सा नहीं है।

23— यह कि प्रतिवादी संख्या-4 श्री कृष्णवीर सिंह जैन उपरोक्त/नहीं है अतः उसे मुकदमे से वरी किया जाता है। किंतु यदि वह भविष्य में किसी सम्पत्ति में कोई भी अधिकार का दावा करता है तो उस अधिकार की संतुष्टि श्री वीरेन्द्र सिंह जैन अपने को प्राप्त सम्पत्तियों में से ही करेंगे।

24— यह कि यदि श्री पीयूष जैन के अन्य कोई भाई बहिन कोई विवाद करते हैं तो उसकी सारी जिम्मेदारी पीयूष जैन की होगी।

न.स.प. भरतेन्द्र सिंह जैन को उचित रूप से मुकदमे से वरी किया जाता है।

25— यह कि किसी पक्षकार द्वारा इस संधि पत्र का उल्लघन किए जाने की दशा में उसके विरुद्ध इजराय लाकर इसका पालन कराया जा सकेगा।

26— यह कि यह संधि पत्र पक्षकारों व उनके वारिसानो व विधिक प्रतिनिधियों व उत्तराधिकारियों पर लागू रहेगा।

27— यह कि श्री पीयूष जैन के पास श्री वीरेन्द्र सिंह का एक दस्तखती कागज हो सकता है वह किसी भी उददेश्य के लिए मान्य नहीं होगा।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि इस संधि पत्र को स्वीकार किया जाकर संधि पत्र के आधार पर मुकदमा उपरोक्त निर्णीत किया जाकर संधि पत्र को निर्णय का अंग रखे जाने की कृपा करें महान कृपा होगी।

दिनांक: 13.9.2010

प्रार्थीगण

साक्षी-

भरतेन्द्रसिंह जैन वादहू पीयूष जैन

- ① रजता सिंह जैन - 13/9/10
- ② Kulesh Jain
- ③ Sanjeev Bansal.
- ④ विक्रम जैन

[Signature]
13-9-10/10

वादीगण
[Signature]
पंकज जैन

L.I.S. Rajeev Jain

वीरेन्द्र सिंह, जैन आदि
Virendra Singh
प्रतिवादीगण

[Signature]
13/9/10

Narendra Singh Jain
Defalt. No. 3

Us
राजेश माताजीन
Perchanday
[Signature]



13.9.10



S72 A1

काज नई सभसारा प्रसन्नपत्र पत्रकार
 हाय प्रसन्नपत्र किना गमा वावी पत्रकार की
 पीपुष जैन की अगस्त की कालेक बुझा
 सालकी एउठ वय की गली व प्रतिवादी
 की कीटि फिद जैन की अगस्त की अगस्त
 प्रसन्नपत्र एउठ व अजीव जैन व
 राजकुमारी की अगस्त की काएके चारके
 एउठ व अजीव जैन के लिले की काएके
 चारके एउठ व की कीटि फिद जैन की
 अगस्त की सलेड पाल फिद एउठ
 प्रतिवादी गण 4, 6 छात्र को लखी किना
 गमा है। प्रतिवादी 5 की हल्लु व
 चुकी है। सभसारा व प्रसन्नपत्र को
 प्रसन्नपत्र व सभसारा गमा।
 सभसारा व सभसारा की अता के
 काबार पर स्वीकार किना जात है।

K. M. Singh
 (कीटि फिद)
 काज नई

सहमति पत्र

मैं श्रीमती अरूणा जैन पत्नी स्व० श्री नरेंद्र सिंह जैन निवासी बिलराम गेट, मोहल्ला नबाव कासगंज की हूँ। मैं अपने पुत्र रजत सिंह जैन को दिनांक 07/07/2014 को अपने बैंक खाते से रूपये 2,00,000.00 (दो लाख) का एक चैक बिल्डर को फ्लैट का एडवांस देने के लिये उधार के रूप में अपनी सहमति से दे रही हूँ क्योंकि उक्त धनराशि देनी आवश्यक है और मेरे पुत्र रजत सिंह जैन के पास उक्त धनराशि की व्यवस्था किसी भी प्रकार से नहीं हो पा रही है और बैंक से ऋण लेने की पूरी सीमा समाप्त हो चुकी है। अतः यह सहमति पत्र लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे। उक्त धनराशि मेरा पुत्र तीन वर्ष के अंदर बिना ब्याज के अदा करेगा।

दिनांक : 07/07/2014

Aruna Jain
(श्रीमती अरूणा जैन)